न्यायालय विशेष, न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बलरामपुर।

परिवाद संख्या–124 / 2021
कम्प्यूटरीकृत संख्या–64 / 2021
श्रीमती झिनका देवी बनाम सुरसता देवी आदि

आदेश

दिनांक–02.12.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। विगत नियत दिनांक को परिवादिनी झिनका देवी के विद्वान अधिवक्ता को तर्क तलबी पर सुना जा चुका है।

परिवादिनी झिनका देवी की ओर से विपक्षीगण सुरसता देवी, सुनीता उर्फ सुमन तथा राम नरायन के विरूद्ध परिवाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति की नट्ट गरीब महिला है। मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती है। परिवादिनी ने माह अप्रैल सन 2021 में गांव की श्रीमती सुरसता देवी पत्नी रघुराज के यहां गन्ने की गोड़ाई मजदूरी किया था। मजदूरी मु0 1,500 / –रूपये बना था, जिसमें 300 / –रूपये सुरसता देवी ने दिया तथा 1200 / –रूपये बकाया कर दिया। प्रार्थिनी 1,200 / –रू0 बकाया मजदूरी मांगने के लिए कई बार सुरसता देवी के घर गई परन्तु वह बहाना बनाकर टाल देती थी। दिनांक 17.09.2021 को सुबह 09:00 बजे बकाया रूपया मांगने सुरसता के घर गयी और कहा कि उसका बच्चा बीमार है, बकाया मजदूरी दे दे। इसी बात पर नाराज होकर सुरसता देवी, उनके घर की सुनीता उर्फ सुमन और सुमन के पिता राम नरायन परिवादिनी को मां बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए कहा कि ''हरिजन चमार नट्ट साली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर रूपया मांगने सुबह–सुबह आ गयी।'' उसने गाली देने से मना किया तो सभी लोग लात मूका थप्पड़ से मारते हुए अपमानित करने की नीयत से अपने घर के सामने रास्ते पर पटक दिया। परिवादिनी अर्धनग्न हो गयी, रोने चिल्लाने लगी। गांव के पारसनाथ व अन्य कई लोगों ने उन लोगों को डांटा फटकारा तो उक्त सभी लोगो ने गाली देते हुए कहा कि हरिजन नट्ट चमार दोबारा पैसे मांगने आई तो जान से मार दूंगा। परिवादिनी ने घटना की तहरीर थाना रेहरा बाजार फिर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर, डी0आई0जी0, माननीय मुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष अनुसूचित जाति व जनजाति उ0प्र0 आदि को जरिये पंजीकृत डाक सूचना प्रेषित किया फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय के आदेशानुसार उक्त मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी की ओर से अपना बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 तथा गवाहान परिवादी साक्षी सं0–1 पारसनाथ व परिवादी साक्षी सं0–2 प्रेमलाल का बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 अंकित कराया गया।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कहा गया है कि वह सुरसता का गन्ना लगभग साल भर पहले बो रही थी। तब वह सुबह 09:00 बजे

सुरसता से अपना पैसा मांगने अपने लड़के के साथ गई थी तो उसने कहा नट्ट साली सुबह–सुबह पैसा मांगने चली आई। पिता रामनरायन, सुरसता व सुमन तीनो ने मिलकर उसे मारा पीटा। गांव के पारसनाथ ने घटना देखी और उसे बचाया। सभी विपक्षीगण ने उसे गन्दी–गन्दी गालियां दी थी, बाल पकड़े। राम नरायन डण्डे से मारे थे। उसने थाने पर शिकायत की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसे जानकारी नहीं कि कप्तान साहब या कहीं और कोई प्रार्थना पत्र दिया था या नहीं। उसके अंकन 200/–रूपये सुरसता पर बकाया है केवल अंकन 300/–रूपये सुरसता ने दिया था। जब कहीं कार्यवाही नहीं हुई तब उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

परिवादी साक्षी सं0–1 पारसनाथ ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में बयान किया कि वह झिनका देवी को जानता पहचानता है। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। झिनका देवी ने गांव के सुरसता देवी के यहां गन्ने की रूपाई गुड़ाई की थी जिसकी मजदूरी 1,500/–रूपये हुई थी, जिसमें से 300/–रूपये मजदूरी दिया गया था। अप्रैल 2021 में सुरसता के खेत में झिनका देवी ने मजदूरी किया था। मजदूरी का 1,200/–रूपये झिनका देवी अपने लड़के के साथ दिनांक 17.09.2021 को सुबह 09:00 बजे सुरसता देवी के घर गयी, पैसा मांगा तो सुरसता देवी और उनके घर की औरत सुनीता उर्फ सुमन पत्नी माधवराम व उसके पिता राम नरायन झिनका देवी को गाली गुप्ता देते हुए नट हरिजन साली, मादरचोद सुबह सुबह आ जाती हो पैसा मांगने कहते हुए लात मूका थप्पड़ से मारने लगे। प्रार्थिनी की साड़ी फट गयी। चीख पुकार पर वह और गांव के काफी लोगों ने बीच बचाव कराया था।

परिवादी साक्षी सं0–2 प्रेमलाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में बयान किया कि उसे दिन तारीख का ज्ञान नहीं है। घटना लगभग साल भर पहले की है। हल्का ठण्डक का महीना था। कुआंर महीने की बात हैं सुबह के दस बजे की बात है। वह सेमरा गांव में वर्मा जी के यहां भैंस खरीदा था। वही लेने जा रहा था। साथ में उसके चाचा सनोहर थे। गांव में साइकिल लेकर पैदल जा रहे थे। इस गांव से एक किलोमीटर दूर उसका गांव हैं मौजा अलग–अलग है। इस गांव के सब आदमी को वह पहचानता है। यह घटना घोघरा की है। उसने देखा कि झिनका को राम नरायन और दो औरतें उनको झूकाए मार रहे थे। औरतों में राम नरायन की रिश्तेदार है रिश्ते में क्या है वह नहीं जानता। राम नरायन डण्डा लिये थे। उसके सामने दो तीन डण्डे पीछे कमर पर मारे थे। उसने पहुंचकर छुडाया था। जब मार पीट हो रही थी तब उसके अलावा और कोई छुडाने नहीं गया। भीड़ इकट्ठा थी। उसके चाचा भी झगड़ा छुड़ाये थे। उसे व उसके चाचा को कुछ नहीं कहा। बाद में समझ में आया कि पैसा का लेन देन था। झिनका की गन्ना छीलने की मजदूरी बाकी थी कितनी बाकी थी नहीं पता। गन्ना छीलते हुए उसने झिनका को राम नरायन के खेत में देखा था। वह राम नरायन का एक खेत जानता है। उसमें इस समय गन्ना व धान लगा हुआ है। इसके अलावा

उसके सामने और कोई बात नहीं हुई। झिनका देवी नट्ट बिरादरी की है जो हरिजन में आते हैं। लोग कहते है इसलिए जानता हूँ कि यह अनुसूचित जाति में आती है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने उसके बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के कथनों का समर्थन करते हुए अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में साक्ष्य दिया कि परिवादिनी झिनका देवी ने विपक्षी सुरसता के खेत मे मजदूरी की थी जिसकी बकाया मजदूरी मांगने जब झिनका देवी विपक्षीगण के घर गयी तो विपक्षीगण सुरसता, सुमन तथा राम नरायन ने उसे जातिसूचक शब्द नट्टी साली आदि गालियां देते हुए उसे मारा पीटा। इस प्रकार परिवादिनी झिनका देवी द्वारा दाखिल प्रपत्रों एवं बयानों से विपक्षीगण सुरसता, सुमन तथा राम नरायन के विरूद्ध प्रथम दृष्टया **धारा 323, 504** भारतीय दण्ड संहिता व धारा **3(1)(ध)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त विपक्षीगण धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सुरसता, सुमन तथा राम नरायन अन्तर्गत धारा **323, 504** भारतीय दण्ड संहिता व धारा **3(1)(ध)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में विचारण हेतु बजरिये सम्मन दिनांक नियत कर आहूत किये जाए। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक को पेश हो। परिवादिनी यथोचित पैरवी करे।

दिनांक 02.12.2022

(विनोद कुमार–V)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.12.02 16:56:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court